राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य बिभाग

क्रमांक : प. 2 (3) न्याय/2012 जयपुर, दिनांक : 1 JUN 2012

अधिसूचना

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु निम्नलिखित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती हैं :–

क्र.सं.	नवसृजित विशिष्ठ न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1.	विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन. डी. टी. एक्ट प्रकरण), अजमेर।	अजमेर	अजमेर संभाग
2.	विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन. डी. टी. एक्ट प्रकरण), भरतपुर।	भरतपुर	भरतपुर संभाग
3.	विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन. डी. टी. एक्ट प्रकरण), बीकानेर।	बीकानेर	बीकानेर संभाग
4.	विशिष्ठ अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन. डी. टी. एक्ट प्रकरण), जयपुर महानगर।	जयपुर महानगर	जयपुर संभाग
5	विशिष्ठ अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन. डी. टी. एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर।	जोधपुर महानगर	जोधपुर संभाग
6	विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन. डी. टी. एक्ट प्रकरण), कोटा।	कोटा	कोटा संभाग
7	विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन. डी. टी. एक्ट प्रकरण), उदयपुर।	उदयपुर	उदयपुर संभाग

उक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दण्ड प्रकिया संहिता, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक/महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

लगातार......./2

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार जेनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच जयपुर।
6. संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश/जिला कलक्टर/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/पुलिस कमिश्नर/पुलिस अधीक्षक।
7. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक/शासन सचिव, अभियोजन/वादकरण, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशन हेतु (सीडी सहित)।
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव